

घोषणा-पत्र

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री पिता / पति.....
..... पता
..... आवेदन संख्या शपथपूर्वक घोषणा
करता / करती हूँ कि :-

- (i) मैं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग / महिला एवं युवा उद्यमी का हूँ एवं बिहार का निवासी हूँ।
- (ii) मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग / महिला एवं युवा उद्यमी योजनान्तर्गत मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाएँ / प्रमाण-पत्र सत्य एवं सही है।
- (iii) मैं स्वयं ऐसे कान्स्ट्रैक्च्युअल / सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, जिनका कुल मासिक वेतन रू0 15,000 / - से अधिक हो।
- (iv) मेरे द्वारा पूर्व में उद्योग विभाग से संबंधित योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। यथा-PMEGP, मुद्रा लोन, SIPB, स्टार्ट-अप, औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना इत्यादि।
- (v) मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया है।
- (vi) मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा 06 माह या उससे अधिक के कारावास की सजा नहीं सुनाया गया है।
- (vii) मैं निर्वाचित जन प्रतिनिधि नहीं हूँ। यथा-M.P, M.L.A, M.L.C, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख, सरपंच, निर्वाचित जनप्रतिनिधि (नगर निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं सहित) पैक्स अध्यक्ष, नगर परिषद के सदस्य / नगर निगम के सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष / सदस्य।
- (viii) मैं जन वितरण प्रणाली का डीलर नहीं हूँ।
- (ix) मैं चयनित जिला के अलावा अन्य किसी जिले में इकाई स्थापित नहीं करूंगा।
- (x) मेरे द्वारा इस योजना का लाभ लेकर विभाग द्वारा सुझाये गये परियोजना अंतर्गत ही विनिर्माण एवं सेवा प्रक्षेत्र के लिये उपयोग करूंगा। व्यापार या बिजनेस के लिये राशि का उपयोग नहीं करूंगा।
- (xi) मेरे द्वारा इस योजना का लाभ लेकर नए उद्योग / उद्यम स्थापित किया जायेगा।
- (xii) अगर किसी कारणवश मेरे द्वारा उद्योग की स्थापना नहीं की जाती है या फिर इस राशि का दुरुपयोग किया जाता है तो ली गई पूरी राशि को ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- (xiii) मेरे परिवार के किसी सदस्य यथा-पति / पत्नी ने योजना अर्न्तगत आवेदन / लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- (xvi) मैं स्वयं के लिए आवेदन पत्र भर रहा हूँ।
- (xv) मैं स्वयं उद्योग / उद्यम स्थापित करूँगा / करूँगी। मेरे नाम से किसी अन्य द्वारा उद्योग / उद्यम नहीं किया जायेगा।
- (xv) मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी सूचना सत्य एवं सही है। उक्त वर्णित तथ्य कभी भी असत्य होने की स्थिति में मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उद्योग विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर